

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर-१, फतेहपुर।

आदेश

०६.०३.२०१९

अभियुक्त दीपक पाल की ओर से गैर जमानतीय वारण्ट निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र ५३ब प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया कि उसके विरुद्ध एन०बी०डब्लू० हो गया है। उसने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की है। उसकी सगी बहन प्रीति देवी की शादी थी, उसी की शादी में व्यस्त होने के कारण वह न्यायालय नहीं आ सका। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरुद्ध जारी एन०बी०डब्लू० रिकाल करने की कृपा की जाये। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना। आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ५३ब स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पचास हजार रुपये का निजी मुचलका दाखिल करने पर उसके विरुद्ध जारी एन०बी०डब्लू० इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित होता रहेगा। सम्बन्धित थाने को सूचना दी जाये।

(रविकरण सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश/

फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर-१, फतेहपुर।